न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 49 / 2024 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2024/ 57)

1. पाली देवी पुत्री श्री लाधूराम पत्नी श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी कीकरवाली हाल आबाद वार्ड नं. 12 मकान नं. 36 नजदीक सरस्वती स्कूल भग्गूवाला कुंआ सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. मीरा देवी उर्फ शांति देवी पुत्री श्री लाधूराम पत्नी श्री गणेशराम जाति जाट निवासी कीकरवाली हाल निवासी वार्ड नां. 12 मकान नं. 43 नजदीक सरस्वती स्कूल भग्गूवाला कुंआ सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुनील कुमार पुत्र स्व. जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी चक 3 बी. जी.एम. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. भागो देवी उर्फ भगवंती पुत्री लाधूराम पत्नी श्री गणेशाराम जाति जाट निवासी कीकरवाली हाल निवासी चक 68 एन.पी. तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. राममूर्ति देवी पुत्री श्री लाधूराम पत्नी श्री देवीलाल जाति जाट निवासी कीकरवाली हाल निवासी चक दानेवाला 8 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. कलावती देवी पत्नी स्व. जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी चक 3 बी.जी.एम. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
5. संतोष कुमारी पुत्री स्व. जगदीश प्रसाद पत्नी श्री पवन कुमार जाति भुवाल जाट निवासी चक 3 बी.जी.एम. हाल निवासी भोमपुरा तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।
6. बलवीर कुमार पुत्र स्व. जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी चक 3 बी. जी.एम. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर
7. सुभाष कुमार पुत्र स्व. जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी चक 3 बी. जी.एम. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगगानगर।
8. सुनील कुमार पुत्री स्व. जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी चक 3 बी.जी.एम. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेंट

उपस्थित: 1. श्री मदन सुरोलिया – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री राजेन्द्र सिह शिमला – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1,4,6,7
3 श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांक: 15.07.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप तहसीलदार (भू.अ.) मुकलावा, के प्रकरण सं. 22 / 2021 निर्णय दिनांक 11.05.2023 के विरूद्ध पेश हुई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने उप तहसीलदार (भू.अ.) मुकलावा, के प्रकरण सं. 22/2021 निर्णय दिनांक 11.05.2023 के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 11.05.2023 को निरस्त फरमाने का अनुतोष चाहा गया है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 4, 6, 7 के विद्वान अभिभाषक ने सयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि उक्त अपील में पक्षकारान के मध्य राजीनामा लिखा गया है जिसके मुताबिक दोनो पक्षो के मध्य राजीनामा हुआ, राजीनाम के मुताबिक अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तो दोनो पक्षो को कोई आपत्ति नही है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

5. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा उप तहसीलदार (भू.अ.) मुकलावा के निर्णय दिनांक 11.05.2023 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की है। उप तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय में वसीयत मुताबिक सुनील कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद के पक्ष मे नामान्तरकरण दायर करने के आदेश पारित किए गए। प्रकरण में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्स के मध्य राजीनामा न्यायालय हाजा में पेश किया गया व उभय पक्षकारान भी न्यायालय हाजा में हाजिर हुए जिनकी पहचान संबधित अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामा अनुसार उभय पक्षकारान विरासतन इंतकाल दायर किए जाने हेतु सहमत है।

उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट माफिक राजीनामा स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.2023 को निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण संबधित उप तहसीलदार/तहसीलदार (उप तहसीलदार (भू.अ.) मुकलावा तहसील रायसिहनगर) को रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते है कि वारिसान की जांच उपरान्त माफिक राजीनामा प्रकरण का विधिवत निस्तारण करे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 15.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर